



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 241]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2019/ आषाढ़ 19, 1941
No. 241]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2019/ASHADHA 19, 1941

---

## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 8 जुलाई, 2019

### भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019

**फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/6/157/2019.**—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा 2(जेडसी) और 2(जेडडी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहसार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

#### अध्याय-1

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 कहलाएँगे।
- (ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (ग) ये विनियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा असंबद्ध प्लेटफार्म के अंतर्गत प्रस्तावित सभी बीमा उत्पादों पर लागू होंगे।

#### 2. उद्देश्य:

- i) यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता जीवन बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण में विवेकपूर्ण प्रथाओं का अनुसरण करें तथा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना।
- ii) जीवन बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण के संबंध में प्रभावी निगरानी और पर्याप्त समुचित सावधानी के लिए सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंधन की प्रथाओं को सुनिश्चित करना।

- 3. परिभाषाएँ:** इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- क) **“अधिनियम”** से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।
- ख) **“प्राधिकरण”** से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- ग) **“वार्षिकीकृत प्रीमियम”** से करों, राइडर प्रीमियमों, जोखिम-अंकन अतिरिक्त प्रीमियमों और मोडल प्रीमियमों के लिए अतिरिक्त प्रभारों (लोडिंगों), यदि कोई हों, को छोड़कर पालिसीधारक द्वारा चुने गये एक वर्ष में देय प्रीमियम की राशि अभिप्रेत है।
- घ) **“मृत्यु पर देय लाभ”** से वह लाभ अभिप्रेत है जो पालिसी के दस्तावेज में विनिर्दिष्ट रूप में मृत्यु होने पर देय है।
- ङ) **“नियोजक-कर्मचारी समूह”** से वह समूह अभिप्रेत है जहाँ संबंधित कानूनों के अनुसार मास्टर पालिसीधारक और सदस्य के बीच नियोजक-कर्मचारी संबंध विद्यमान है।
- च) **“परिपक्वता लाभ”** से वह लाभ अभिप्रेत है जो पालिसी दस्तावेज में विनिर्दिष्ट रूप में परिपक्वता पर देय है। परिपक्वता पर देय लाभों के अतिरिक्त, पालिसी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार और परिपक्वता की तारीख तक उपचित बोनस, अतिरिक्त लाभ, यदि पहले से अदा नहीं किये गये हों तो परिपक्वता लाभ के भाग के रूप में देय होंगे।
- छ) **“गैर-नियोजक-कर्मचारी समूह”** से नियोजक-कर्मचारी को छोड़कर अन्य समूह अभिप्रेत है जहाँ बीमा को छोड़कर अन्य सेवाओं के लिए सदस्य और समूह पालिसीधारक के बीच एक स्पष्ट रूप से प्रकट संबंध विद्यमान है।
- ज) **“विशुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद”** से ऐसे बीमा उत्पाद अभिप्रेत हैं जहाँ पालिसी अवधि के अंदर मानव जीवन पर आधारित आकस्मिकता के घटित होने पर सहमत राशि (किसी बचत तत्व के बिना) का भुगतान आश्वासित है तथा बीमित व्यक्ति की उत्तरजीविता से पहले अथवा उत्तरजीविता पर अथवा पालिसी की परिपक्वता पर लाभों के किसी भुगतान की व्यवस्था नहीं की जाती। यह परिभाषा आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यव) विनियम, 2016 के विनियम 2(1)(छ) के अनुसार है।
- (ज) **“पालिसी का पुनःप्रवर्तन”** से प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के कारण समाप्त हो चुकी पालिसी के संबंध में बीमाकर्ता के द्वारा उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार पालिसीधारक द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर बीमाकृत व्यक्ति अथवा पालिसीधारक की निरंतर बीमा-योग्यता के संबंध में संतुष्ट होने पर, पालिसी की शर्तों के अनुसार देय सभी प्रीमियमों और अन्य प्रभारों अथवा विलंब शुल्क, यदि कोई हो, की प्राप्ति के बाद पालिसी दस्तावेज में उल्लिखित सभी लाभों के साथ, अनुवृद्धि लाभों, यदि कोई हों, के साथ अथवा उनके बिना पालिसी का पुनःप्रवर्तन अभिप्रेत है।
- (ट) **“अनुवृद्धि लाभ”** से अनुवृद्धि (राइडर) के अंतर्गत प्रस्तावित विनिर्दिष्ट घटना पर देय लाभ की राशि अभिप्रेत है, तथा इसे मूल उत्पाद के अंतर्गत लाभ के साथ अतिरिक्त (एड-आन) लाभ के रूप में अनुमति है, और इसमें अन्य प्रयोज्य अनुवृद्धियों पर प्रीमियम लाभ की छूट शामिल हो सकती है।
- (ठ) **“बचत उत्पाद”** से **“विशुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पादों”** को छोड़कर अन्य उत्पाद अभिप्रेत हैं।
- (ड) **“मृत्यु पर बीमित राशि”** से लाभ की एक समग्र राशि जो पालिसी की शर्तों के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर देय होने के लिए गारंटीकृत है अथवा लाभ की एक समग्र राशि जो स्वास्थ्य का बीमा पूरा करने के लिए उपलब्ध है, अभिप्रेत है।
- (ढ) **“परिपक्वता पर देय राशि”** से वह राशि अभिप्रेत है जो पालिसी की शर्तों के अनुसार पालिसी की परिपक्वता पर देय होने के लिए गारंटीकृत है।
- (ण) **“अभ्यर्पण”** से संपूर्ण आहरण अथवा समूची पालिसी की समाप्ति अभिप्रेत है।

(त) "अभ्यर्पण मूल्य" से वह राशि, यदि कोई हो, अभिप्रेत है जो पालिसी की शर्तों के अनुसार अभ्यर्पण की स्थिति में देय होती है।

(थ) "प्रदत्त कुल प्रीमियम" से किसी अतिरिक्त प्रीमियम, किसी अनुवृद्धि (राइडर) प्रीमियम और करों को छोड़कर, प्राप्त सभी प्रीमियमों का कुल जोड़ अभिप्रेत है।

(द) यहाँ इन विनियमों में अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

## अध्याय-II

### उत्पाद संरचनाएँ

4) **उत्पाद संरचनाएँ:** उत्पाद संरचना का वर्गीकरण सहभागी उत्पादों (इन विनियमों में इसके बाद "सममूल्य उत्पाद" के रूप में उल्लिखित) और गैर-सहभागी उत्पादों (इन विनियमों में इसके बाद "सममूल्येतर उत्पाद" के रूप में उल्लिखित) के रूप में किया जाएगा।

5) **सममूल्य उत्पाद:** सममूल्य उत्पाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में परिभाषित रूप में होंगे तथा वे केवल असंबद्ध आधार के अंतर्गत ही प्रस्तावित किये जा सकेंगे। सममूल्य उत्पादों के अंतर्गत अवधि के दौरान बोनस उपचय निम्नानुसार होंगे:

- नियमित बोनस केवल वार्षिक आधार पर ही घोषित किया जाएगा।
- अंतरिम बोनस की घोषणा वार्षिक मूल्यांकन अवधि पर की जाएगी जो अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान देय होगा।
- अंतिम बोनस अथवा अन्य प्रकार का बोनस, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट घटनाओं पर अथवा पालिसी की अवधि की समाप्ति पर देय होगा।
- सममूल्य उत्पादों के मामले में, परिपक्वता लाभ परिसंपत्ति अंश को घनिष्ठतापूर्वक प्रतिबिंबित करेंगे।

6) **सममूल्येतर उत्पाद:** सममूल्येतर उत्पाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में परिभाषित रूप में होंगे। ये उत्पाद, अर्थात् वैयक्तिक और सामूहिक उत्पाद, निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होंगे:

- वैयक्तिक उत्पादों के अंतर्गत, लाभ बीमाकर्ता के किसी विवेक के बिना पालिसी के प्रारंभ में अग्रिम तौर पर सुस्पष्ट रूप से बताये जाएँगे।
- सामूहिक उत्पादों के अंतर्गत, लाभ अथवा ब्याज दरें, जैसा लागू हो, बीमाकर्ता के किसी विवेक के बिना प्रत्येक महीने अथवा तिमाही अथवा छमाही अथवा वर्ष के अंत में अथवा प्रारंभ में उपचित हो सकते हैं जैसा कि उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया में सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा अथवा बताया जाएगा, जहाँ वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

7) उत्पादों का अतिरिक्त वर्गीकरण आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के अनुसार होगा।

8) उत्पाद फाइलिंग दस्तावेज निम्नलिखित वर्गीकरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे:

- सममूल्य / सममूल्येतर
- जीवन/पेंशन/साधारण/वार्षिकी/स्वास्थ्य
- वैयक्तिक/सामूहिक
- बचत / विशुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद

**अध्याय-III****मृत्यु पर देय न्यूनतम लाभ**

**9) मृत्यु पर देय न्यूनतम लाभ:** सभी असंबद्ध वैयक्तिक जीवन बीमा उत्पादों के लिए, पालिसी की पूरी अवधि के दौरान मृत्यु पर देय न्यूनतम बीमित राशि सीमित अथवा नियमित प्रीमियम उत्पादों के लिए वार्षिकीकृत प्रीमियमों की 7 गुनी राशि से कम नहीं होगी, तथा एकल प्रीमियम उत्पादों के लिए एकल प्रीमियम की 1.25 गुनी राशि से कम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, एकल प्रीमियम उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों के लिए मृत्यु पर देय न्यूनतम लाभ कम से कम मृत्यु की तारीख तक प्राप्त कुल प्रीमियमों का 105 प्रतिशत होगा।

**क)** सहभागी उत्पादों के लिए, मृत्यु पर देय आश्वासित राशि के अतिरिक्त, पालिसी में विनिर्दिष्ट रूप में और मृत्यु की तारीख तक उपचित बोनस और अतिरिक्त लाभ यदि पहले अदा नहीं किये गये हों तो मृत्यु पर देय लाभ के भाग के रूप में मृत्यु पर देय होंगे।

**ख)** बीमाकर्ता मृत्यु पर देय ऐसा लाभ पालिसी संविदा की शर्तों के अनुसार एकमुश्त अथवा किस्तों में अदा कर सकता है।

**ग)** पालिसी के अंतर्गत जोखिम के प्रारंभ की तारीख से अथवा पालिसी के पुनःप्रवर्तन की तारीख से, जैसा लागू हो, 12 महीने के अंदर आत्महत्या के कारण मृत्यु होने की स्थिति में पालिसीधारक का नामित व्यक्ति अथवा लाभार्थी मृत्यु की तारीख तक अदा किये गये कुल प्रीमियमों के कम से कम 80 प्रतिशत अथवा मृत्यु की तारीख को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के लिए हकदार होगा, बशर्ते कि पालिसी प्रचलन में हो।

**घ)** धोखाधड़ी अथवा गलतबयानी अथवा महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने की स्थिति में पालिसी के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

**ङ)** अवयस्क के जीवन पर जारी की गई पालिसियों के लिए, जोखिम के प्रारंभ की तारीख पालिसी के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष पर अथवा दो वर्ष तक किसी भी समय अथवा वयस्कता प्राप्त करने के बाद पालिसी की वर्षगाँठ पर, जो भी पहले हो, प्रारंभ हो सकती है।

**च)** मृत्यु पर देय न्यूनतम लाभ का उपबंध घटाई गई प्रदत्त पालिसियों, पेंशन उत्पादों, सभी प्रकार के तत्काल और आस्थगित वार्षिकी उत्पादों, तथा ह्रासमानसावधि बीमारक्षा वाली बीमा पालिसियों के लिए लागू नहीं होगा। तथापि, सभी वैयक्तिक पेंशन उत्पादों और आस्थगित अवधि के दौरान आस्थगित वार्षिकी उत्पादों के लिए, मृत्यु पर देय न्यूनतम लाभ मृत्यु की तारीख तक अदा किये गये सभी प्रीमियमों के 105 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

**अध्याय-IV****असंबद्धबीमा उत्पादों का प्रबंध**

**10)** किसी भी उत्पाद का प्रारंभ तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्रत्यायोजित जोखिम समिति प्राधिकरण को यह प्रमाणित न करे कि "प्रारंभ किये जानेवाले उत्पाद.....(उत्पाद का नाम) के लिए एक निरंतर आधार पर सभी प्रक्रियाएँ और उपयुक्त बुनियादी संरचना और प्रणालीगत अपेक्षाएँ सुव्यवस्थित की गई हैं तथा उत्पाद के प्रारंभ के दिन से प्रणालियाँ बीमाकर्ता को सभी पालिसीधारकों की सर्विसिंग, भुगतान तथा अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, समय-समय पर उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार आरक्षित निधियों और शोधक्षमता मार्जिन के निर्धारण सहित, सभी दैनंदिन परिचालन निष्पादित करने के लिए समर्थ बनाती हैं।" यह प्रमाणपत्र प्राधिकरण को उत्पाद को प्रारंभ करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

**अध्याय-V****पालिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि, कमीशन, पारिश्रमिक और व्यय**

**11) न्यूनतम पालिसी अवधि:** न्यूनतम पालिसी अवधि:

**क)** वैयक्तिक बचत पालिसियों के लिए कम से कम पाँच वर्ष होगी।

**ख)** नियोजक-कर्मचारी समूह के लिए सामूहिक बचत बीमा पालिसियों के लिए कम से कम एक वर्ष होगी (वार्षिक रूप से नवीकरण आधार पर)।

ग) बीमाकर्ता ऐसे उत्पाद अभिकल्पित कर सकते हैं जो वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद, सामूहिक सावधि, सामूहिक ऋण जीवन और सूक्ष्म बीमा उत्पादों के संबंध में एक महीने की न्यूनतम पालिसी अवधि के अधीन, पालिसी अवधियों का एक दायरा प्रस्तावित करते हों।

### 12) प्रीमियम भुगतान अवधि:

पालिसियों की प्रीमियम भुगतान अवधि: पालिसी अवधि का विचार किये बिना, सभी वैयक्तिक असंबद्ध उत्पाद नीचे बताये गये रूप में न्यूनतम विशेषताओं से युक्त होंगे:

i) एकल प्रीमियम उत्पादों को छोड़कर अन्य वैयक्तिक बचत उत्पादों के लिए, प्रीमियम भुगतान अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी।

ii) बीमाकर्ता ऐसे उत्पाद अभिकल्पित कर सकते हैं जो वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद, सामूहिक सावधि, सामूहिक ऋण और सूक्ष्म बीमा उत्पादों के संबंध में प्रीमियम भुगतान अवधियों का एक दायरा प्रस्तावित करते हों।

iii) बीमाकर्ता पालिसीधारक के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि अथवा पालिसी अवधियाँ परिवर्तित करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार हो तथा ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत प्रभारित की जानेवाली प्रीमियम दरें उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित हों।

### 13) कमीशन, पारिश्रमिक और व्यय:

कमीशन, पारिश्रमिक और व्यय वर्तमान कमीशन और पारिश्रमिक विनियमों एवं समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय संबंधी विनियमों के अनुसार होंगे।

## अध्याय-VI

### पेंशन उत्पाद

### 14) पेंशन उत्पादों से संबंधित सामान्य उपबंध:

क) पेंशन उत्पाद निम्नलिखित किसी भी आधार पर प्रस्तावित किये जा सकते हैं :

i) वैयक्तिक असंबद्ध पेंशन उत्पाद।

ii) सामूहिक असंबद्ध पेंशन उत्पाद।

### ख) परिभाषित बीमाकृत लाभ:

i) सभी वैयक्तिक पेंशन उत्पादों का स्पष्ट रूप से परिभाषित बीमाकृत लाभ होगा जो निम्न स्थितियों में देय होगा:

(1) मृत्यु; और

(2) निहित करना।

ii) बीमाकृत लाभ से निम्नलिखित विकल्पों में से कम से कम एक गारंटी अभिप्रेत है:

(1) लागू कर को छोड़कर, भुगतान की तारीख से निहित करने की तारीख तक, अदा किये गये प्रीमियमों पर प्रतिलाभ की शून्यतर धनात्मक दर अथवा

(2) मृत्यु होने पर अथवा परिपक्वता पर अदा की जानेवाली एक समग्र राशि (जो शून्यतर धनात्मक प्रतिलाभ में परिणत होगी)।

iii) परिभाषित बीमाकृत लाभ विक्री के समय प्रकट किया जाएगा।

iv) बीमाकृत लाभ का उपयोग निहित करने की तारीख को अथवा मृत्यु की तारीख को किया जाएगा जैसा कि इन विनियमों के विनियम 15 और 16, जैसा लागू हो, में निर्धारित है।

ग) बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित पेंशन उत्पाद आस्थगन अवधि के दौरान अनुवृद्धियाँ (राइडर्स) प्रस्तावित कर सकते हैं।

**15) अभ्यर्पण मूल्य और अभ्यर्पण अथवा निहित करने पर विकल्प**

अभ्यर्पण अथवा निहित करने पर पालिसीधारक के पास निम्नलिखित में से एक विकल्प होगा:

i) विनियम 15(क)(iii) के अधीन उस समय प्रचलित वार्षिकी दर पर उसी बीमाकर्ता से तत्काल वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए समूची आगम राशि का उपयोग करना, पालिसीधारक को तत्काल वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी किसी अन्य बीमाकर्ता से खरीदने के लिए विकल्प दिया जाएगा।

अथवा

ii) 60 प्रतिशत तक संराशीकरण करना तथा शेष राशि का उपयोग विनियम 15(क)(iii) के अधीन उस समय प्रचलित वार्षिकी दर पर उसी बीमाकर्ता से तात्कालिक वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए करना। तथापि, पालिसीधारक को उपलब्ध वार्षिकी किसी अन्य बीमाकर्ता से खरीदने के लिए विकल्प दिया जाएगा।

iii) प्रत्येक पालिसीधारक को संराशीकरण को घटाकर पालिसी की समूची आगम राशि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिशत, जो वर्तमान में 50 प्रतिशत है, की सीमा तक किसी अन्य बीमाकर्ता से तात्कालिक वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा।

iv) यदि अभ्यर्पण अथवा निहित करने पर पालिसी की आगम राशि समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएं) विनियम, 2015 के विनियम 3(क) में परिभाषित रूप में न्यूनतम वार्षिकी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पालिसी की ऐसी आगम राशि पालिसीधारक अथवा लाभार्थी को एकमुश्त रूप में अदा की जा सकती है।

**16) पालिसीधारक की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति के लिए विकल्प**

क) यदि आस्थगन अवधि के दौरान पालिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प का प्रयोग करेगा:

i) पालिसी की समूची आगम राशि अथवा उसके एक भाग का उपयोग उस समय प्रचलित दर पर उसी बीमाकर्ता से एक तात्कालिक वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए करना। तथापि, नामित व्यक्ति को संराशीकरण को घटाकर पालिसी की समूची आगम राशि के प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित प्रतिशत की सीमा तक, जो वर्तमान में 50 प्रतिशत है, किसी अन्य बीमाकर्ता से एक तात्कालिक वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी उस समय प्रचलित दर पर खरीदने का विकल्प दिया जाएगा।

ii) पालिसी की समूची आगम राशि का आहरण करना।

ख) यदि पालिसी की आगम राशि समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित न्यूनतम वार्षिकी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पालिसी की आगम राशि का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जा सकता है।

**17) सामूहिक बचत असंबद्ध पेंशन उत्पाद:**

क) नियोजक द्वारा अभिदान किये गये परिभाषित लाभों से युक्त सभी सामूहिक बचत असंबद्ध पेंशन उत्पादों के लिए, जहाँ योजना वैयक्तिक सदस्य खाते नहीं रखती और केवल एक पेंशन निधि रखती है:

i. एक बीमाकृत लाभ होगा जो बीमाकर्ता के पास उपलब्ध समूची पेंशन निधि पर लागू होगा। तथापि, एक बीमाकृत लाभ यह भी होगा जो प्रत्येक सदस्य की मृत्यु होने पर उपलब्ध होगा।

ii. मृत्यु, सेवानिवृत्ति के कारण निर्गमों के लिए अथवा सामूहिक पालिसीधारक के साथ संविदा के प्रारंभ के समय सहमत रूप में योजना के अनुसार अनुमति प्राप्त किसी अन्य निर्गम के लिए, बीमाकर्ता पेंशन निधियों से भुगतान, ऐसी निधियों की उपलब्धता के अधीन, निर्गम करनेवाले सदस्यों को योजना के लागू नियमों के अनुसार करेगा।

iii. योजना के नियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त रूप में निर्गमों अथवा प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य आहरण की अनुमति नहीं होगी।

ख) नियोजक द्वारा अभिदान किये गये परिभाषित अंशदानों से युक्त सभी सामूहिक बचत असंबद्ध पेंशन उत्पादों के लिए, जहाँ योजना वैयक्तिक सदस्य खाते रखती है:

- i. एक बीमाकृत लाभ होगा जो ऐसे प्रत्येक वैयक्तिक खाते पर लागू होगा।
  - ii. मृत्यु, सेवानिवृत्ति के कारण निर्गमों के लिए अथवा सामूहिक पालिसीधारक के साथ संविदा के प्रारंभ के समय अनुमति प्राप्त किसी अन्य निर्गम के लिए, बीमाकर्ता पेंशन निधियों से भुगतान ऐसी निधियों की उपलब्धता के अधीन, निर्गम करनेवाले सदस्यों को योजना के लागू नियमों के अनुसार करेगा।
  - iii. योजना के नियमों के अनुसार निर्गमों को छोड़कर किसी अन्य आहरण की अनुमति नहीं होगी।
- ग)** इन विनियमों के विनियम 15 और 16 में निर्धारित उपबंध सामूहिक असंबद्ध पेंशन उत्पादों के लिए लागू नहीं होंगे; तथापि, निर्गमों पर लाभ योजना के नियमों के अधीन होंगे।
- घ)** इन विनियमों के अंतर्गत विनियम 19(ज) में निर्धारित उपबंध पालिसी के संपूर्ण अभ्यर्पण की स्थिति में लागू होंगे।
- ङ)** जहाँ सामूहिक पालिसीधारक एक से अधिक बीमाकर्ताओं के पास पेंशन निधियाँ रखता है, वहाँ सामूहिक पालिसीधारक के पस उपलब्ध वार्षिकी खरीदने के लिए किसी भी बीमाकर्ता का चयन करने के विकल्प होगा।

### अध्याय-VII

#### वार्षिकी उत्पाद

#### 18) वार्षिकी उत्पाद

- क)** सामूहिक आस्थगित और सामूहिक तात्कालिक वार्षिकियों सहित, तात्कालिक वार्षिकी और आस्थगित वार्षिकियों के अंतर्गत वैयक्तिक और सामूहिक व्यवसायों के अंतर्गत निम्नलिखित गारंटीकृत जीवन वार्षिकी विकल्पों की अनुमति दी जा सकती है:
- i. जीवन वार्षिकी
  - ii. क्रय मूल्य के प्रतिलाभ सहित जीवन वार्षिकी।
  - iii. एक विनिर्दिष्ट अवधि (अवधि उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत यथाअनुमोदित) के लिए निश्चित और उसके बाद आजीवन वार्षिकी।
  - iv. प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर अनुपंगी वार्षिकीग्राही के लिए 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अथवा वार्षिकी के ऐसे अन्य प्रतिशतों के प्रावधान सहित तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी अदायगी के प्रावधान सहित संयुक्त जीवन वार्षिकी।
  - v. प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर अनुपंगी वार्षिकीग्राही के लिए 100 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत अथवा वार्षिकी के ऐसे अन्य प्रतिशतों के लिए प्रावधान सहित संयुक्त जीवन वार्षिकी।
  - vi. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में कोई अन्य वार्षिकी।
- वशर्ते कि प्रत्येक वार्षिकी उत्पाद ऊपर उल्लिखित कम से कम विकल्प (i) और (ii) से युक्त होगा।
- ख)** दोनों सामूहिक और वैयक्तिक आस्थगित वार्षिकी उत्पादों के अंतर्गत,
- i. वार्षिकी आस्थगन अवधि के अंत में देय होगी तथा वार्षिकी दरें संविदा के प्रारंभ में गारंटीकृत होंगी।
  - ii. प्रीमियम भुगतान की पद्धति एकल, सीमित प्रीमियम अथवा नियमित प्रीमियम हो सकती है।

### अध्याय-VIII

#### सामूहिक उत्पाद

सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के उत्पादों की अनुमति दी जाएगी।

#### 19) सामूहिक असंबद्ध उत्पाद

**क)** नियोजक-कर्मचारी सामूहिक उत्पाद: नियोजक-कर्मचारी समूहों के लिए निम्नलिखित सामूहिक उत्पादों के अनुमति होगी:

- i. सामूहिक सावधि बीमा उत्पाद।
- ii. सामूहिक बचत बीमा उत्पाद।
- iii. सामूहिक ऋण जीवन बीमा उत्पाद।
- iv. एकल प्रीमियम सामूहिक सावधि बीमा उत्पाद।
- v. सूक्ष्म बीमा उत्पाद।
- vi. एक वर्ष के नवीकरण-योग्य सामूहिक सावधि बीमा उत्पाद।
- vii. एक वर्ष के नवीकरण-योग्य स्वास्थ्य बीमा उत्पाद।
- viii. इन विनियमों के विनियम 18(क) के अंतर्गत निर्धारित विकल्पों से युक्त सामूहिक वार्षिकी उत्पाद।

**ख) गैर-नियोजक-कर्मचारी सामूहिक उत्पाद:** गैर-नियोजक-कर्मचारी समूहों के लिए निम्नलिखित सामूहिक उत्पादों की अनुमति होगी:

- i. सामूहिक सावधि बीमा उत्पाद।
- ii. सामूहिक ऋण जीवन बीमा उत्पाद।
- iii. केवल गैर-नियोजक-कर्मचारी समरूप समूहों के लिए ही प्रस्तावित एकल प्रीमियम सामूहिक सावधि बीमा उत्पाद।
- iv. सूक्ष्म बीमा उत्पाद।
- v. एक वर्ष के नवीकरण-योग्य सामूहिक स्वास्थ्य अथवा सावधि बीमा उत्पाद।
- vi. सरकार (केन्द्र अथवा राज्य) प्रायोजित सामूहिक बीमा उत्पाद अथवा योजनाएँ।

**ग)** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए गैर-नियोजक-कर्मचारी समरूप समूह से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा:

- i. कोई भी संघ, जहाँ सदस्य किसी विशिष्ट व्यवसाय अथवा व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है अथवा घरेलू कर्मचारी अथवा आंगनवाड़ी कर्मचारी।
- ii. सरकारी एजेंसियाँ।
- iii. कोई सहकारी सोसाइटियाँ।
- iv. स्कूल अथवा कालेज छात्रों के माता-पिता सदस्यों के रूप में।
- v. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किये जानेवाले कोई अन्य समूह।

**घ)** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, सामूहिक बचत बीमा उत्पादों से निम्नलिखित अभिप्रेत होंगे:

- i. सामूहिक असंबद्ध अधिवर्षिता उत्पाद।
- ii. सामूहिक असंबद्ध उपदान (ग्रैच्युटी) उत्पाद।
- iii. सामूहिक छुट्टी नकदीकरण उत्पाद।
- iv. सामूहिक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा उत्पाद।
- v. उल्लेखनीय बचत तत्व से युक्त सामूहिक उत्पाद।



ड) इन विनियमों के अंतर्गत विनियम 19(घ)(ii), (iii), (iv) और (v) में निर्धारित सामूहिक बचत असंबद्ध पालिसियाँ, लगाई गई एक सुस्पष्ट मृत्यु-दर लागत सहित उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित रूप में न्यूनतम जोखिम कवर से युक्त होंगी।

च) सामूहिक उत्पादों के संबंध में प्रीमियम, योजना के नियमों के अनुसरण में निधीयन की अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। न्यासी अथवा नियोजक अथवा पालिसीधारक से यह पुष्टि करने की अपेक्षा होगी कि ऐसा निधीयन दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के मापन को नियंत्रित करनेवाले वर्तमान लेखांकन मानक के अनुसार अपेक्षित है।

छ) सामूहिक बचत असंबद्ध उत्पाद किसी टाप-अप की अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के मापन को नियंत्रित करनेवाले वर्तमान लेखांकन मानक के अनुसार योजना के कम निधीयन का समाधान करने के लिए अपेक्षित न हो।

ज) यदि पालिसी के तीसरे वार्षिक नवीकरण के अंदर पालिसी का अभ्यर्पण किया जाता है, तो सामूहिक बचत असंबद्ध उत्पाद एक समग्र राशि के अधीन कुल निधि मूल्य के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अनधिक अभ्यर्पण प्रभार लगा सकते हैं। वर्तमान में, अभ्यर्पण प्रभार अधिकतम पाँच लाख रुपये होते हुए, कुल निधि मूल्य के 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि पालिसी का अभ्यर्पण पालिसी के तीसरे वार्षिक नवीकरण के अंदर किया जाता है।

झ) सामूहिक बचत असंबद्ध अधिवर्षिता उत्पाद, कवर के लिए एक सुस्पष्ट प्रीमियम के साथ जोखिम कवर प्रस्तावित कर सकते हैं।

ञ) सामूहिक बीमा योजनाओं का प्रबंध डेटा प्रबंधन, प्रीमियम के संग्रहण, बीमा प्रमाणपत्र के निर्गम, दावा निपटान, मास्टर पालिसीधारकों को व्ययों की प्रतिपूर्ति और अन्य प्रबंधकीय विषयों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

ट) सामूहिक पालिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, निधि आधारित सामूहिक पालिसियों को छोड़कर अन्य पालिसियों के विषय में बीमाकर्ता ऐसे अभ्यर्पण पर समूह के वैयक्तिक सदस्यों को एक वैयक्तिक पालिसी के रूप में जारी रखने के लिए एक विकल्प देगा तथा बीमाकर्ता/मध्यवर्ती, यदि कोई हो, ऐसे सदस्यों को सर्विसिंग प्रदान करने के लिए तब तक उत्तरदायी के रूप में जारी रहेंगे, जब तक उनका कवरेज समाप्त नहीं होता।

#### ठ) सामूहिक बचत बीमा उत्पादों के अंतर्गत ब्याज दर की घोषणा:

i. बीमाकर्ता सामूहिक बचत बीमा उत्पादों के अंतर्गत प्रत्येक पालिसी के संबंध में सभी प्राप्ति और भुगतानों का अलग खाता रखेंगे। परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता-सीमा) विनियम, 2016 और अन्य संबंधित विनियमों के अनुसार होगा।

ii. प्रत्येक निधि में जमा की गई ब्याज दर एवं ऐसी निधियों के लिए प्रभारित व्यय बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होंगे।

iii. तथापि, ऐसी ब्याज दरें बीमाकर्ताओं द्वारा निधि के आकार के आधार पर नियमित अंतरालों पर घोषित की जाएँगी और साथ ही, बीमाकर्ता की वेबसाइट पर उपयुक्त घोषणा की जाएगी।

iv. ब्याज दरों की घोषणा इस प्रकार करने की आवश्यकता होगी कि निधि के आकार के तौर पर समरूप पालिसीधारकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा।

v. ब्याज दरें एवं व्यय, यदि कोई हों, जिन्हें निधि में प्रभारित करने की आवश्यकता होगी, उत्पाद फाइलिंग दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किये जाएँगे।

**अध्याय-IX****अभ्यर्पण मूल्य****20) अभ्यर्पण मूल्य का अभिग्रहण:**

**क)** सभी बचत और संरक्षण उन्मुख उत्पाद जैसे असंबद्ध जीवन बीमा उत्पाद, और असंबद्ध पेंशन उत्पाद जिनमें आस्थगित वार्षिकी उत्पाद, विशुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पाद जैसे सावधि बीमा, स्वास्थ्य बीमा और तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद शामिल हैं, दोनों गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य तथा यदि उच्चतर हो तो विशेष अभ्यर्पण मूल्य का अभिग्रहण करेंगे। गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य का अभिग्रहण निम्न प्रकार से किया जाएगा:

यदि सभी प्रीमियम कम से कम दो निरंतर वर्षों के लिए अदा किये गये हों, तो पालिसी एक गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य का अभिग्रहण करेगी, जिसमें अवस्थित (सबसिस्टिंग) बोनस, और पालिसी में पहले से ही उपचित कोई भी गारंटीकृत परिवर्धन जोड़े जाएँगे।

**ख)** एकल प्रीमियम उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पाद: न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और किसी भी अवस्थित (सबसिस्टिंग) बोनस और पालिसी के साथ पहले से ही संबद्ध किन्हीं भी गारंटीकृत परिवर्धनों का जोड़ होगा।

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कम से कम निम्नलिखित होगा:

i. अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 30 प्रतिशत जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि पालिसी के दूसरे वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई हो, तथा

ii. अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 35 प्रतिशत जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि पालिसी के तीसरे वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई हो।

iii. अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 50 प्रतिशत जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि पालिसी चौथे वर्ष और सातवें वर्ष, दोनों को मिलाकर, के बीच अभ्यर्पित की गई हो।

iv. अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 90 प्रतिशत जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि पालिसी के अंतिम दो वर्षों के दौरान अभ्यर्पित की गई हो।

v. सातवें वर्ष के बाद का अभ्यर्पण मूल्य बीमाकर्ता द्वारा उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल किया जाएगा। ऐसा अभ्यर्पण मूल्य एक अबाध अग्रगमन का अनुसरण करेगा तथा अदा किये गये कुल प्रीमियमों के कम से कम 90 प्रतिशत के प्रति अभिमुख होगा जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, जैसे ही पालिसी परिपक्वता तक पहुँचेगी।

vi. किसी भी अवस्थित (सबसिस्टिंग) बोनस का अभ्यर्पण मूल्य तथा पालिसी के साथ पहले से संबद्ध कोई भी गारंटीकृत परिवर्धन उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्त किये जाएँगे।

**ग)** एकल प्रीमियम उत्पाद: गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और किसी भी अवस्थित (सबसिस्टिंग) बोनस और पालिसी के साथ पहले से संबद्ध किसी भी गारंटीकृत परिवर्धन का जोड़ होगा। गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कम से कम निम्नलिखित होगा:

i. अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 75 प्रतिशत जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि तीसरे पालिसी वर्ष के अंदर किसी भी समय अभ्यर्पण किया गया हो।

ii. (iii) के अधीन, अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 90 प्रतिशत, जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि चौथे पालिसी वर्ष में अभ्यर्पण किया गया हो।

iii. अदा किये गये कुल प्रीमियमों का 90 प्रतिशत, जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, यदि पालिसी के अंतिम दो वर्षों के दौरान अभ्यर्पण किया गया हो।

iv. चौथे वर्ष के बाद अभ्यर्पण मूल्य बीमाकर्ता के द्वारा फाइल किया जाएगा। ऐसा अभ्यर्पण मूल्य एक अबाध अग्रगमन का अनुसरण करेगा, तथा अदा किये गये कुल प्रीमियम के कम से कम 90 प्रतिशत के प्रति अभिमुख होगा जिसमें से पहले से अदा किये गये कोई भी उत्तरजीविता लाभ घटाये जाएँगे, जैसे ही पालिसी परिपक्वता तक पहुँचेंगी।

v. पालिसी के साथ पहले से संबद्ध किसी भी अवस्थित (सबसिस्टिंग) बोनस का अभ्यर्पण मूल्य उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित होगा।

घ) ऐसी प्रत्येक पालिसी उसके प्रचलन के दूसरे वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में अथवा पालिसी के प्रचलन की समूची अवधि के दौरान तीन वर्ष की प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर पालिसी का गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य पालिसी दस्तावेज में दर्शायेगी।

ङ) ऐसी पालिसी जिसने अभ्यर्पण मूल्य का अभिग्रहण किया है, आगे के प्रीमियमों का भुगतान नहीं करने के कारण व्यपगत नहीं होगी, परंतु प्रदत्त आश्वासित राशि तथा गारंटीकृत परिवर्धन, यदि कोई हो, सहित अवस्थित (सबसिस्टिंग) बोनसों की सीमा तक प्रचलन में रखी जाएगी। यह उपबंध समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अभिग्रहण) विनियम, 2015 के विनियम 3(ख)(iii) के उपबंधों के अनुसार है।

च) अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, होगा।

### 21) विशेष अभ्यर्पण मूल्य:

विशेष अभ्यर्पण मूल्य सममूल्य पालिसियों के मामले में परिसंपत्ति अंश का द्योतन करेगा, जहाँ परिसंपत्ति अंश का निर्धारण भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों अथवा व्यवहार मानकों के अनुसार किया जाएगा। सममूल्यतर वचत पालिसियों के लिए, विशेष अभ्यर्पण मूल्य पालिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अथवा उत्तरजीविता लाभों को प्रतिबिंबित करेगा।

## अध्याय-X

### विविध उपबंध

### 22) अग्रिम रूप से नवीकरण प्रीमियम:

(i) अग्रिम रूप से नवीकरण प्रीमियम के संग्रहण की अनुमति उस वित्तीय वर्ष में देय प्रीमियम के लिए उसी वित्तीय वर्ष के अंदर दी जाएगी। बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में देय प्रीमियम वित्तीय वर्ष में पहले प्रीमियम की नियत तारीख से अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए अग्रिम रूप से वसूल किया जा सकता है।

(ii) इस प्रकार अग्रिम रूप से वसूल किया गया नवीकरण प्रीमियम केवल प्रीमियम की नियत तारीख को ही समायोजित किया जाएगा।

(iii) कमीशन का भुगतान नियत तारीख को प्रीमियम का समायोजन करने के बाद ही किया जाएगा।

### 23) समान प्रीमियम:

क) सामूहिक उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों के लिए, प्रारंभ में चुना गया प्रीमियम पालिसी की समूची प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान देय होगा। ऐसा प्रीमियम समान (लेवल) और एकरूप होगा तथा नीचे दिये गये (ख) के अधीन पालिसी की अवधि के दौरान भिन्न नहीं होगा।

ख) प्रथम पाँच संपूर्ण वर्षों के लिए प्रीमियमों के भुगतान के बाद, पालिसीधारक को बीमाकर्ता के उत्पाद के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम सीमाओं के अधीन, मूल वार्षिकीकृत प्रीमियम के 50 प्रतिशत तक प्रीमियम कम करने का विकल्प दिया जा सकता है। एक बार घटाने के बाद प्रीमियम तदुपरांत बढ़ाया नहीं जा सकता। इन विनियमों के विनियम 9 के अंतर्गत निर्धारित रूप में मृत्यु पर देय न्यूनतम लाभ के अधीन लाभ संशोधित किये जा सकते हैं। प्रीमियमों की कमी के कारण पालिसी की धारणीयता उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदर्शित की जाएगी।

24) "एकल प्रीमियम पालिसियों को छोड़कर अन्य पालिसियों के लिए झूट अवधि"से प्रीमियम के भुगतान के लिए नियत तारीख से बीमाकर्ता द्वारा अर्थदंड अथवा विलंब शुल्क के बिना प्रदत्त समय अभिप्रेत है, जिस समय के दौरान पालिसी

की शर्तों के अनुसार किसी क्रमभंग के बिना पालिसी को जोखिम कवर के साथ प्रचलित माना जाता है। सभी प्रकार की असंबद्ध बीमा पालिसियों के लिए प्रीमियम के भुगतान के लिए छूट अवधि (ग्रेस पीरियड) होगी: पंद्रह दिन, जहाँ पालिसीधारक प्रीमियम का भुगतान मासिक आधार पर करता है; तथा अन्य सभी मामलों में 30 दिन।

**25) "सीमित प्रीमियम भुगतान पालिसी"** से एकल प्रीमियम पालिसी को छोड़कर अन्य असंबद्ध बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जहाँ पालिसी अवधि की तुलना में प्रीमियम भुगतान अवधि सीमित है, तथा प्रीमियम नियमित अंतरालों पर, जैसे वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में किसी अन्य अंतराल पर देय हैं।

**26) "असंबद्ध आजीवन पालिसी"** से वह असंबद्ध बीमा पालिसी अभिप्रेत है जिसकी एक निश्चित पालिसी अवधि नहीं होती तथा पालिसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर समाप्त होती है अथवा कम से कम 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कवरेज उपलब्ध कराती है।

**27) "नियमित प्रीमियम पालिसी"** से वह असंबद्ध बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जहाँ प्रीमियम भुगतान पालिसी की समूची अवधि के दौरान अथवा पालिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किया जाता है, तथा प्रीमियम नियमित अंतरालों पर, जैसे वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में किसी अन्य अंतराल पर देय हैं।

**28) "एकल प्रीमियम पालिसी"** से वह असंबद्ध बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जहाँ प्रीमियम भुगतान पालिसी के प्रारंभ में एकमुश्त राशि के रूप में किया जाता है।

**29) "पुनःप्रवर्तन अवधि"** से प्रथम अदत्त प्रीमियम की तारीख से पाँच निरंतर वर्षों की अवधि अभिप्रेत है, जिस अवधि के दौरान पालिसीधारक उस पालिसी का पुनःप्रवर्तन करने के लिए पात्र है जो प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के कारण समाप्त हो गई थी।

**30) धामक नाम:** उत्पादों के नाम अथवा लाभ के नाम के द्वारा लाभों के संबंध में भ्रम पैदा करने और मिथ्या-निरूपण करने की अनुमति नहीं होगी।

### **31) नवोन्मेष उत्पादों का अनुमोदन:**

क) नवोन्मेष उत्पादों को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बाजार में असामान्य हैं।

ख) उत्पाद अभिकल्प में नवोन्मेषण का परिणाम ग्राहक की आवश्यकताएँ पूरी करने, ग्राहक की समझ और संतोष को बेहतर बनाने के रूप में होगा तथा इसका परिणाम उत्पाद को समझने में जटिलता, कंपनी की बुनियादी संरचना पर अतिरिक्त भार के रूप में नहीं होगा जिसके कारण ग्राहक के लिए लागत में वृद्धि हो सकती है।

ग) बीमाकर्ता प्राधिकरण को प्रस्तावित नवोन्मेष उत्पाद की उत्पाद अभिकल्प संकल्पना और अन्य विवरण औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा।

**32) उत्पादों की वित्तीय व्यवहार्यता:** एक बार अनुमोदित सभी उत्पादों की समीक्षा नियुक्त बीमांकक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार पालिसीधारकों सहित सभी हितधारकों की उचित प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि वे वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं। इस संबंध में एक पुष्टीकरण वार्षिक वीमांकक रिपोर्ट और सारांश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई उत्पाद वित्तीय रूप से अव्यवहार्य पाया जाता है, तो नियुक्त वीमांकक वर्तमान उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद को संशोधित करेगा।

### **33) लाभ का प्रकटीकरण:**

क) उन उत्पादों को छोड़कर जहाँ सभी लाभ संविदा के प्रारंभ में समग्र राशियों में आश्वासित हैं, सभी अन्य बीमा उत्पाद संभावित पालिसीधारक को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में सकल निवेश प्रतिलाभों पर गारंटीकृत और अगारंटीकृत लाभों का निदर्शन करते हुए, बिक्री केन्द्र पर एक आवश्यकतानुरूप लाभ निदर्शन उपलब्ध कराएँगे। वर्तमान में ऐसे सकल निवेश प्रतिलाभ 4 प्रतिशत प्रति वर्ष और 8 प्रतिशत प्रति वर्ष हैं।

ख) पेंशन उत्पादों के मामले में, निम्नलिखित को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक पालिसीधारक को एक वार्षिक विवरण भेजा जाएगा:

- i) वर्तमान संचित मूल्य अथवा उपलब्ध राशि।
- ii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में सकल निवेश प्रतिलाभों के आधार पर, निहित करने की तारीख को प्रत्याशित संचित मूल्य इस निषेध के साथ कि पूर्वानुमानित दर किसी गारंटी को प्रतिबिंबित नहीं करती। वर्तमान में सकल निवेश प्रतिलाभ 4 प्रतिशत प्रति वर्ष और 8 प्रतिशत प्रति वर्ष हैं।
- iii) उस समय प्रचलित वार्षिकी दरों के आधार पर संभावित वार्षिकी राशि इस निषेध के साथ कि पूर्वानुमानित दरें किसी गारंटी को प्रतिबिंबित नहीं करतीं।
- ग) इस प्रकार के लाभ निदर्शन पर दोनों संभावित पालिसीधारक, बीमा एजेंट अथवा विक्री की प्रक्रिया में संबद्ध मध्यवर्ती के प्राधिकृत व्यक्तियों, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा यह पालिसी दस्तावेज का भाग बनेगा।
- घ) उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित रूप में लाभ निदर्शन विक्रय साहित्य का भाग होगा तथा विक्रय को अंतिम रूप देने से पहले यह विक्रय साहित्य के साथ संभावित पालिसीधारक को उपलब्ध कराया जाएगा।

### अध्याय-XI

#### सलाभ निधि प्रबंध

#### 34) सलाभ समिति:

- (i) सलाभ समिति कम से कम निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित की जाएगी:  
बोर्ड का एक स्वतंत्र निदेशक, सीईओ, सीएफओ, नियुक्त बीमांकक और एक स्वतंत्र बीमांकक।
- ii) सलाभ समिति में स्वतंत्र बीमांकक:
- क) भारतीय बीमांकक संस्थान(आईएआई) का फेलो सदस्य होगा
- ख) जीवन बीमा अथवा समकक्ष विशेषीकरण विषय में उत्तीर्ण होगा। विशेषीकरण विषय के प्रयोजन के लिए,
1. भारतीय बीमांकक संस्थान के फेलो सदस्य जिन्होंने भारतीय बीमांकक संस्थान (पूर्व की भारतीय बीमांकिक सोसाइटी) द्वारा आयोजित विशेषीकृत विषय की परीक्षा प्रारंभ करने से पहले फेलोशिप प्राप्त किया है, आवश्यक विशेषीकरण विषय में उत्तीर्ण माने जाएंगे।
  2. भारतीय बीमांकक संस्थान के फेलो सदस्य जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के अनुसार विशेषीकरण विषय उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई है, आवश्यक विशेषीकरण विषय में उत्तीर्ण माने जाएंगे।
- ग) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये जीवन बीमा के क्षेत्र में विधिमान्य व्यवहार के प्रमाणपत्र से युक्त होगा।
- घ) जीवन बीमा व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष का संबंधित अर्हता के बाद का अनुभव रखेगा तथा
- ङ) 75 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा।
- च) स्वतंत्र बीमांकक एक ही बीमाकर्ता की सलाभ समिति में तीन निरंतर वर्षों से अधिक जारी नहीं रहेगा।
- छ) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, स्वतंत्र बीमांकक तीन से अधिक सलाभ समितियों से जुड़ा नहीं रहेगा।
- iii) बीमाकर्ता सलाभ समिति में बीमांकिक, वित्त, निवेश के क्षेत्रों अथवा किसी अन्य क्षेत्र से और भी विशेषज्ञों को जोड़ सकता है। ऐसे अतिरिक्त विशेषज्ञों के लिए स्वतंत्र बीमांकक के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
- iv) परिसंपत्ति शेयर:
- क) बीमाकर्ता परिसंपत्ति शेयर का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।

ख) परिसंपत्ति शेयर की विस्तृत कार्यप्रणाली, परिसंपत्ति शेयर में अनुमति प्राप्त व्ययों, निधि पर अर्जित निवेश आय तथा अन्य संबद्ध तत्व जो परिसंपत्ति शेयर में निरूपित हैं, का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा किया जाएगा।

v) सलाह समिति रिपोर्ट

i) सलाह समिति रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

1) परिसंपत्ति शेयरों के परिकलन में प्रयुक्त कार्यपद्धति और आधार की उपयुक्तता, तथा किसी भी परिवर्तन के लिए औचित्य।

2) बोनस अर्जन क्षमता, उसके परिकलन सहित।

3) उपयुक्त रूप में बोनस दरों और आधार का संवेदनशीलता विश्लेषण।

4) पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाएँ (पीआरई) कैसे पूरी की गई हैं, इसके संबंध में एक संक्षिप्त नोट

5) विशेष अभ्यर्पण मूल्य में कोई परिवर्तन, औचित्य के साथ।

6) भावी विनियोजन के लिए निधि का व्यवहार।

7) सलाह निधि में नामे डाले गये व्यय तथा इसकी उपयुक्तता।

ii) वर्षांत वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सलाह समिति की रिपोर्ट का साझा बीमाकर्ता के बोर्ड के साथ किया जाना चाहिए। सलाह समिति की रिपोर्ट का साझा विनियमनकर्ता के साथ भी बीमांकक रिपोर्ट और सारांश सहित किया जाएगा। सलाह समिति की रिपोर्ट के तर्काधार को स्पष्ट करने के लिए विनियमनकर्ता द्वारा सलाह समिति को बुलाया जा सकता है। यह प्रत्याशा की जाती है कि नियुक्त बीमांकक और सलाह समिति के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण के बीच अंतर, यदि कोई हों, का समाधान नियुक्त बीमांकक द्वारा सलाह व्यवसाय के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिश देने से पहले किया जाना चाहिए। तथापि, इस सीमा तक कि कोई महत्वपूर्ण मतभेद समाधान के बिना रह जाता है, इसका उल्लेख सलाह समिति की रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

iii) नियुक्त बीमांकक आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 का अनुपालन करते हुए तथा आईएआई के बीमांकक व्यवहार मानकों और व्यावसायिक आचरण मानकों के अनुरूप अपने कार्य के लिए संपूर्ण दायित्व रखता है। अतः नियुक्त बीमांकक को इस संबंध में अनिवार्यतः अंतिम बात रखनी चाहिए कि सलाह समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उसके कार्य के किसी तत्व को परिवर्तित करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। अतः नियुक्त बीमांकक को सलाह दी जाती है कि वह इस क्षेत्र में अपने विवेक का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें।

## अध्याय-XII

### बाजार मूल्य समायोजन

#### 35) बाजार मूल्य समायोजन

क) निम्नलिखित के अंतर्गत बाजार मूल्य समायोजन की अनुमति नहीं होगी:

i) असंबद्ध वैयक्तिक उत्पाद

ii) सममूल्य और सममूल्येतर सामूहिक बचत उत्पाद जहाँ निर्गम नीचे (ख) में निर्धारित को छोड़कर, प्रारंभ में बीमाकर्ता के पास दाखिल की गई योजना के अनुसार हैं।

ख) थोक निर्गमों और संपूर्ण अभ्यर्पण हेतु सममूल्य और सममूल्येतर सामूहिक बचत उत्पादों के लिए बाजार मूल्य समायोजन की अनुमति दी जा सकती है, जहाँ संविदा में थोक निर्गम स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और बशर्ते कि सारी पालिसी अवधि में निवेश की गारंटी आश्रवासित हो।

ग) बाजार मूल्य समायोजन को स्पष्ट रूप से और वस्तुपरक ढंग से परिभाषित किया जाएगा और उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमोदित किया जाएगा। बाजार मूल्य समायोजन को प्राप्त करने के संबंध में बीमाकर्ता के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होगा।

- घ) बाजार मूल्य समायोजन उस राशि से कम राशियों के लिए लागू नहीं होगा जो थोक निर्गमों की द्योतक है और केवल उसी राशि के लिए लागू होगा जो थोक निर्गम की द्योतक राशि से अधिक है।
- ङ) बाजार मूल्य समायोजन केवल तभी लागू किया जाएगा, यदि:
- उत्पाद के लिए परिसंपत्तियाँ अलग से विनिश्चित की गई हों;
  - बाजार मूल्य समायोजन के समय परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों के समूचे संविभाग पर किया गया हो।
- च) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु, सममूल्य और सममूल्येतर सामूहिक बचत उत्पादों के लिए:
- यदि कुल निर्गमों पर अदा की जानेवाली राशि वर्ष के प्रारंभ में पालिसी खाता मूल्यों के 25 प्रतिशत से अधिक होती है, तो ऐसे लेनदेनों को थोक निर्गम माना जाएगा जहाँ निर्गम योजना के नियमों के अनुसार होगा तथा
  - निर्गम से समूह से सदस्य का प्रस्थान अभिप्रेत होगा।

### अध्याय-XIII

#### कार्यान्वयन के लिए क्रियाविधि और अन्य उपबंध

**36)** इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए बीमाकर्ता निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण करेंगे:

- इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद प्राधिकरण के पास फाइल किये गये सभी नये उत्पाद इन विनियमों का पालन करेंगे।
- इन विनियमों का अनुपालन करनेवाले सभी वर्तमान उत्पाद नये व्यवसाय के लिए खुला रहना जारी रख सकते हैं।
- इन विनियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले सभी वर्तमान उत्पाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नये व्यवसाय के लिए खुला रहना जारी रख सकते हैं।
- संक्रमण की अवधि के दौरान इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए वर्तमान उत्पादों को हटाने अथवा आशोधित करने की आवश्यकता होगी।
- इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए वर्तमान उत्पादों के आशोधन हेतु क्रियाविधि के संबंध में प्राधिकरण दिशानिर्देश अथवा परिपत्र जारी कर सकता है।
- जहाँ किसी उत्पाद अथवा उत्पाद की विशेषता को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहाँ उसी प्रकार के उत्पाद अथवा विशेषता के लिए किसी अन्य बीमाकर्ता के लिए ऐसा अनुमोदन प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि इस प्रकार का उत्पाद अथवा विशेषता पालिसीधारकों के हितों के अनुकूल नहीं पाई जाती तो बीमाकर्ताओं से कोई भी उत्पाद अथवा उत्पाद की विशेषता को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।

#### **37) चूक की स्थिति में कार्रवाई:**

- प्राधिकरण किसी भी समय लिखित में आदेश के द्वारा प्राधिकरण के किसी अधिकारी को किसी भी बीमाकर्ता के कार्यों का निरीक्षण करने तथा इन विनियमों में से किसी भी विनियम के अनुपालन के औचित्य अथवा अन्य प्रकार की स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है।
- रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद प्राधिकरण रिपोर्ट के निष्कर्षों के संबंध में अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर बीमाकर्ता को प्रदान करने के बाद बीमाकर्ता को उपयुक्त रूप में निर्देश देगा।
- उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये संबंधित विनियमों के उपबंधों के अधीन उपर्युक्त बीमाकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर सकता है।

**38) स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति**

क) इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसके अर्थनिर्णय के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यक्ष जब भी आवश्यक हो तब उपयुक्त परिपत्र, स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

ख) अध्यक्ष आवश्यकता होने पर असंबद्ध बीमा उत्पादों के विनियमन से संबंधित परिपत्र अथवा दिशानिर्देश भी जारी कर सकता है जिनमें उनका प्रबंध, बाजार व्यवहार और प्रकटीकरण मानदंड शामिल होंगे, परंतु जो उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

**39) निरसन और बचत:**

क) इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 निरस्त होंगे।

ख) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इन विनियमों में निहित किसी बात से यह नहीं माना जाएगा कि इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले की गई संविदाएँ अमान्य ठहराई जाएँगी।

डॉ. सुभाष सी. खुंटीआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./133/19]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

Hyderabad, the 8th July, 2019

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019.**

**F. No. IRDA/Reg/6/157/2019.**—In exercise of the powers conferred under sub-section 2(zc) and 2(zd) of Section 114A of the Insurance Act, 1938(4 of 1938) read with Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely: -

**CHAPTER-I****1) Short title and commencement.**

- a) These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019.
- b) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- c) These Regulations shall be applicable to all the products offered by the life insurers under the non-linked platform.

**2) Objective:**

- i) To ensure that insurers follow prudent practices in designing and pricing of life insurance products and to protect the interests of the policyholders.
- ii) To ensure sound and responsive management practices for effective oversight and adequate due diligence with regard to designing and pricing of life insurance products.

**3) Definitions:** In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
- b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- c) "Annualized Premium" shall be the premium amount payable in a year chosen by the policyholder, excluding the taxes, rider premiums, underwriting extra premiums and loadings for modal premiums, if any.
- d) "Death benefit" means the benefit which is payable on death, as stated in the policy document.



- e) "**Employer-Employee Group**" means group where an employer-employee relationship exists between the master policyholder and the member, in accordance with the relevant laws.
- f) "**Maturity Benefit**" means the benefit, which is payable on maturity as stated in the policy document. In addition to the sum assured on maturity, the bonuses, additional benefits as stated in the policy and accrued till the date of maturity shall become payable as part of the maturity benefit, if not paid earlier.
- g) "**Non-Employer-Employee Group**" means group other than employer-employee, where a clearly evident relationship between the member and the group policyholder, for services other than insurance, exist.
- h) "**Pure Risk Premium Products**" means insurance products where the payment of agreed sum (without any savings element) is assured on the happening of a contingency dependent on human life within the term of the policy and doesn't provide any payment of benefits either before survival or on survival of the insured or on maturity of the policy. This definition is as per Regulation 2(1)(g) of IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business), Regulations, 2016.
- i) "**Revival of a Policy**" means restoration of the policy, which was discontinued due to the non-payment of premium, by the insurer with all the benefits mentioned in the policy document, with or without rider benefits if any, upon the receipt of all the premiums due and other charges or late fee if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the continued insurability of the insured or policyholder on the basis of the information, documents and reports furnished by the policyholder, in accordance with Board approved Underwriting policy.
- j) "**Rider Benefits**" means an amount of benefit payable on a specified event offered under the rider, and is allowed as add-on benefit to benefit under base product, and may include waiver of premium benefit on other applicable riders.
- k) "**Savings Products**" means those products other than "**Pure risk premium products**".
- l) "**Sum Assured on Death**" means an absolute amount of benefit which is guaranteed to become payable on death of the life assured in accordance with the terms and conditions of the policy or an absolute amount of benefit which is available to meet the health cover.
- m) "**Sum Assured on Maturity**" means the amount which is guaranteed to become payable on maturity of the policy, in accordance with the terms and conditions of the policy.
- n) "**Surrender**" means complete withdrawal or termination of the entire policy.
- o) "**Surrender Value**" means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender, in accordance with the terms and conditions of the policy.
- p) "**Total Premiums Paid**" means total of all the premiums received, excluding any extra premium, any rider premium and taxes.
- q) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

## CHAPTER-II

### PRODUCT STRUCTURES

- 4) **Product Structures:** The product structure shall be classified as participating products (herein after referred as "par products") and non-participating products (herein after referred as "non-par products").
- 5) **Par Products:** Par products shall be as defined in the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 and can be offered only under non-linked platform. Under the par products, the bonus accruals during the term shall be as follows:
  - a) Regular bonus shall be declared only on an annual basis;
  - b) Interim bonus shall be declared at the annual valuation period, which shall become payable during the inter-valuation period.
  - c) Terminal bonus or other forms of bonus, if any, shall become payable on the specified events or at the end of the term of the policy.
  - d) In case of par products, the maturity benefits shall closely reflect the asset share.

- 6) **Non-par products:** Non par products shall be as defined in the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016. These products, namely, individual and group products, may contain the following features:
- i) Under individual products, the benefits shall be explicitly stated in advance at the inception of the policy without any discretion to the insurer;
  - ii) Under Group products, the benefits or interest rates, as applicable, may be accrued at the end or at the beginning of either every month or quarter or half-year or year as shall be explicitly defined or stated in the product filing procedure, with no discretion to the insurer, where year shall mean the financial year.
- 7) Further classification of products shall be as per the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016.
- 8) The product filing documents shall clearly mention the following classification:
- a) Par/Non-par
  - b) Life/Pension/General Annuity/Health.
  - c) Individual/Group
  - d) Savings/Pure risk premium product.

### CHAPTER-III

#### MINIMUM DEATH BENEFIT

- 9) **Minimum Death Benefit:** For all the non-linked individual life insurance products, the minimum Sum Assured on death during the entire term of the policy shall not be less than 7 times the annualized premium, for limited or regular premium products, and 1.25 times the single premium for single premium products. Further, for other than single premium products, the minimum death benefit shall be at least 105% of the total premiums received upto the date of death.
- a) For the participating products, in addition to the sum assured on death, the bonus and additional benefits as stated in the policy and accrued till the date of death shall become payable on death as part of the death benefit, if not paid earlier.
  - b) The insurer may pay such death benefit in lump sum or in instalments as per the terms & conditions of the policy contract.
  - c) In case of death due to suicide within 12 months from the date of commencement of risk under the policy or from the date of revival of the policy, as applicable, the nominee or beneficiary of the policyholder shall be entitled to at least 80% of the total premiums paid till the date of death or the surrender value available as on the date of death whichever is higher, provided the policy is in force.
  - d) In case of fraud or misstatement or suppression of material fact, the policy shall be treated in accordance with the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938.
  - e) For policies issued on minor's life, the date of commencement of risk may start anytime on or upto two years from the date of commencement of the policy or on the policy anniversary after attainment of majority, whichever is earlier.
  - f) The provision of minimum death benefit shall not be applicable to reduced paid-up policies, pension products, all types of immediate and deferred annuity products, and decreasing cover term insurance products. However, for all individual pension products and deferred annuity products during deferment period, the minimum benefit payable on death shall not be less than 105% of all premiums paid upto date of death.

### CHAPTER: IV

#### ADMINISTRATION OF NON-LINKED INSURANCE PRODUCTS

- 10) A product shall not be launched unless the Board or its delegated risk committee shall certify that "all the processes and suitable infrastructure and system requirements on an ongoing basis for the product \_\_\_\_\_ (product name) to be launched are established and the systems enable the insurer from day of launch of the product, to perform all the day-to-day operations including all policyholder servicing, payments and determination of the reserves and solvency margin as required under the Act, the IRDA Act, Rules or Regulations framed thereunder from time to time." The certificate shall be submitted to the Authority before the launch of the product.

## CHAPTER V

### POLICY TERM, PREMIUM PAYING TERM, COMMISSION, REMUNERATION AND EXPENSES

**11) Minimum Policy Term:** The minimum policy term:

- a) For individual savings products, shall be at least five years.
- b) For group savings insurance products for employer-employee group shall be at least one year (on annually renewable basis).
- c) Insurers may design products which offer a range of policy terms, subject to a minimum policy term of one month, with respect to individual pure risk premium product, group term, group credit Life and micro insurance products.

**12) Premium Payment Term:**

Premium Payment Term of Policies: Irrespective of the policy term, all individual non-linked products, shall have the minimum features as stated below:

- i) For individual saving products, other than single premium products, the premium paying term shall not be less than 5 years.
- ii) Insurers may design products which offer a range of premium payment terms with respect to individual pure risk premium product, group term, group credit and micro insurance products.
- iii) Insurers may extend an option to a policyholder to alter the premium payment term or policy terms provided that such alteration is in accordance with their Board approved underwriting policy and the premium rates to be charged under such circumstances are approved under product filing procedure.

**13) Commission, Remuneration and Expenses:**

Commission, Remuneration and Expenses shall be as per the extant Commission and Remuneration Regulations, Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business Regulations issued by the Authority from time to time.

## CHAPTER VI

### PENSION PRODUCTS

**14) General Provisions with Respect to Pension Products:**

- a) Pension products may be offered on any of the following platforms:
  - i) Individual Non-linked pension products;
  - ii) Group Non-linked pension products;
- b) **Defined Assured Benefits:**
  - i) All individual pension products shall have explicitly defined assured benefit that is payable on:
    - (1) Death; and
    - (2) vesting.
  - ii) An assured benefit means at least one of the guarantees from the following options:
    - (1) Non-zero positive rate of return on the premiums paid, excluding applicable tax, from the date of payment to date of vesting or
    - (2) An absolute amount to be paid on death or maturity (which shall result in non-zero positive return).
  - iii) The defined assured benefit shall be disclosed at the time of sale.
  - iv) The assured benefit shall be utilized on the vesting date OR on date of death as stipulated in the Regulations 15 and 16 under these Regulations, as applicable.
- c) Pension products offered by the insurers may offer riders during the deferment period.

**15) Surrender Value and Options on Surrender or Vesting:**

On surrender or vesting the policyholder shall exercise one of the following options:

- i) To utilize the entire proceeds to purchase immediate annuity or deferred annuity from the same insurer at the then prevailing annuity rate subject to the Regulation 15(iii), the policyholder shall be given an option to purchase immediate annuity or deferred annuity from any other insurer.
- or
- ii) To commute up to 60% and utilize the balance amount to purchase immediate annuity or deferred annuity from the same insurer at the then prevailing annuity rate subject to Regulation 15(iii). However, the policyholder shall be given an option to purchase available annuity from any other insurer.
- iii) Every policyholder shall be given an option to purchase immediate annuity or deferred annuity from another insurer at the then prevailing annuity rate to the extent of percentage, as stipulated by the Authority, currently 50%, of the entire proceeds of the policy net of commutation.
- iv) In case the proceeds of the policy either on surrender or vesting are not sufficient to purchase minimum annuity as defined in Regulation 3(a) of IRDAI (Minimum Limits for Annuities and Other Benefits) Regulations, 2015, as amended from time to time, such proceeds of the policy may be paid to the policyholder or beneficiary as lump sum.

**16) Options to the Nominee on Death of the Policyholder**

- a) If the policyholder dies during the deferment period, the nominee shall exercise one of the following options:
  - i) To utilize the entire proceeds of the policy or part thereof for purchasing an immediate annuity or deferred annuity from the same insurer at the then prevailing rate. However, the nominee shall be given an option to purchase an immediate annuity or deferred annuity from another insurer at the then prevailing rate to the extent of percentage, as stipulated by the Authority, currently 50%, of the entire proceeds of the policy net of commutation.
  - ii) Withdraw the entire proceeds of the policy;
- b) In case the proceeds of the policy are not sufficient to purchase minimum annuity as stipulated by the Authority from time to time, the proceeds of the policy may be paid as lump sum.

**17) Group Savings Non-Linked Pension Products:**

- a) For all group savings non-linked pension products with the defined benefits subscribed to by an employer, where the scheme does not maintain individual member accounts and only maintains a Pension fund:
  - i. There shall be an assured benefit that shall be applicable on the entire Pension fund available with the insurer. However, there shall also be an assured benefit that is available on death of every member.
  - ii. For exits on account of death, retirement or any other exit allowed in accordance with the scheme rules as agreed at the inception of the contract with group policyholder, the insurer shall make payments from the Pension funds, subject to availability of such funds, as per the terms of the scheme rules applicable to the member who is exiting.
  - iii. Except for exits or provisions as allowed as per the scheme rules, no other withdrawals shall be allowed.
- b) For all group savings non-linked pension products with the defined contributions subscribed to by an employer, where the scheme maintains individual member accounts:
  - i. There shall be an assured benefit that shall be applicable on each of such individual accounts.
  - ii. For exits on account of death, retirement or any other exit allowed in accordance with the scheme rules as agreed at the inception of the contract with group policyholder, the insurer shall make payments from the Pension funds, subject to availability of such funds, as per the terms of the scheme rules applicable to the member who is exiting.
  - iii. Except for exits as per the scheme rules, no other withdrawals shall be allowed.
- c) Provisions stipulated in Regulations 15 and 16 under these Regulations shall not be applicable to group non-linked pension products; however, the benefits on exits shall be subject to the scheme rules.
- d) Provisions stipulated in Regulation 19(h) under these Regulations shall apply in case of complete surrender of the policy.
- e) Where the group policyholder maintains Pension funds with more than one insurer, the group policyholder shall have the option to choose any insurer to purchase available annuity.

**CHAPTER: VII**  
**ANNUITY PRODUCTS**

**18) Annuity Products**

- a) Under the immediate annuity and deferred annuities including group deferred and group immediate annuities, the following guaranteed for life annuity options may be permitted under individual and group business:
- i. Life annuity.
  - ii. Life annuity with Return of Purchase Price.
  - iii. Annuity Certain for a specific period (period as approved under the product filing procedure) and life thereafter.
  - iv. Joint Life annuity with a provision of 100%, 50% or such other percentages of annuity to Secondary Annuitant on death of the Primary Annuitant and Return of Purchase Price on death of Last Survivor.
  - v. Joint Life annuity with a provision for 100% or 50% or such other percentages of annuity to Secondary Annuitant on death of the Primary Annuitant.
  - vi. Any other annuity, as approved by the Authority.

Provided every annuity product shall have at least options (i) and (ii) mentioned above.

- b) Under both group and individual deferred annuity products,
- (i) annuity shall be payable at the end of the deferment period and annuity rates shall be guaranteed at the inception of the contract.
  - (ii) Premium payment mode may be single, limited premium or regular premium.

**CHAPTER: VIII**  
**GROUP PRODUCTS**

**The following categories of products shall be allowed under group business.**

**19) Group Non-Linked Products**

- a) Employer-Employee Group Products: The following group products shall be permitted for employer- employee groups:
- i. Group Term Insurance products.
  - ii. Group Savings Insurance products.
  - iii. Group Credit Life Insurance products.
  - iv. Single Premium Group Term Insurance Products.
  - v. Micro Insurance products.
  - vi. One-year renewable Group Term Insurance products.
  - vii. One-year renewable Group Health Insurance products.
  - viii. Group annuity products with the options prescribed under Regulation 18(a) under these Regulations.
- b) Non-Employer-Employee Group Products: The following group products shall be permitted for Non-employer-employee groups:
- i. Group Term Insurance products.
  - ii. Group Credit Life Insurance products.
  - iii. Single Premium Group Term Insurance products offered to only non-employer-employee homogeneous groups.
  - iv. Micro Insurance products.
  - v. One-year renewable Group Health or Term Insurance products.
  - vi. Government (Central or State) sponsored Group Insurance Products or Schemes.
- c) For the purpose of these Regulations, non-employer-employee homogeneous group shall mean:

- i. Any association, where the member represents a particular profession or trade or domestic workers or anganwadi workers.
  - ii. Government agencies.
  - iii. Any cooperative societies.
  - iv. Parents of school or college students as members.
  - v. Any other groups as may be approved by the Authority.
- d) For the purpose of these Regulations, group savings insurance products shall mean:
- i) Group Non-Linked Superannuation Product.
  - ii) Group Non-Linked Gratuity Product.
  - iii) Group Leave Encashment Product.
  - iv) Group Post-Retirement Medical Product.
  - v) Group products with significant savings element.
- e) The group savings non-linked policies stipulated in Regulations 19 (d) (ii), (iii), (iv) and (v) under these Regulations shall have minimum risk cover as approved under product filing procedure, with an explicit mortality cost levied.
- f) The premium with respect to group products shall be made in accordance with the funding requirements as per the scheme rules. The trustee or employer or policyholder shall be required to confirm that such funding is required as per extant accounting standard governing the measurement of long term employee benefits.
- g) The group savings non-linked products shall not allow any top-ups, unless required to address the underfunding of the scheme as per extant accounting standard governing the measurement of long term employee benefits.
- h) The group savings non-linked products may levy a surrender charge not exceeding such per cent of the total fund value subject to an absolute amount, as stipulated by the Authority, if the policy is surrendered within third annual renewal of the policy. Currently, the surrender charge shall not be exceeding 0.05 per cent of the total fund value with a maximum of Rupees Five Lac. if the policy is surrendered within third annual renewal of the policy.
- i) Group savings non-linked superannuation products may offer risk cover with an explicit premium for the cover.
- j) The group insurance schemes shall be administered in compliance with the directions issued from time to time regarding data management, collection of premium, issuance of certificate of insurance, claim settlement, reimbursement of expenses to master policy holders and other administrative matters.
- k) In case of surrender of the group policy, other than fund based group policies, the insurer shall give an option to the individual members of the group, on such surrender, to continue the policy as an individual policy and the insurer/intermediary if any, shall continue to be responsible to serve such members till their coverage is terminated.
- l) Declaration of Interest Rates under Group Savings Insurance Products:**
- i. The insurers shall keep a separate account of all receipts and payments in respect of each policy under Group Savings insurance products. The valuation of assets and liabilities shall be in accordance with IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016 and other relevant Regulations.
  - ii. The interest rate credited to each fund and expenses charged to such funds shall be in accordance with the Board approved policy of the insurer.
  - iii. However, such interest rates shall be declared by the insurers at regular intervals based on the fund size with appropriate disclosure in the insurer's website.
  - iv. Interest rates shall need to be declared in such a way that there shall be no discrimination amongst identical policyholders in terms of fund size.
  - v. Interest rates as well as expenses, if any, which need to be charged to the fund shall be stated explicitly in the product filing documents.

**CHAPTER: IX**  
**SURRENDER VALUE**

**20) Acquisition of Surrender Value:**

- a) All individual savings and protection oriented products such as non-linked life insurance products, and non-linked pension products including deferred annuity products, other than pure risk premium products such as term insurance, health insurance and immediate annuity products, shall acquire, both, a guaranteed surrender value and special surrender value, if higher. The guaranteed surrender value shall acquire in the following manner:

If all premiums have been paid for at least two consecutive years, the policy shall acquire a guaranteed surrender value, to which shall be added the surrender value of any subsisting bonus and any guaranteed additions already accrued to the policy.

- b) Other than single premium products: The minimum guaranteed surrender value shall be the sum of guaranteed surrender value and the surrender value of the any subsisting bonus and any guaranteed additions already attached to the policy.

The guaranteed surrender value shall be at least:

- i. 30% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered during the second year of the policy, and
  - ii. 35% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered during third year of the policy.
  - iii. 50% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered between the fourth year and seventh year of the policy, both inclusive.
  - iv. 90% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered during the last two years of the policy.
  - v. The surrender value beyond the seventh year shall be filed by the insurer under the product filing procedure. Such surrender value shall follow a smooth progression and converge to at least 90% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, as the policy approaches maturity.
  - vi. Surrender value of any subsisting bonus and any guaranteed additions already attached to the policy shall be stated under the product filing procedure.
- c) Single premium products: The guaranteed surrender value shall be the sum of guaranteed surrender value and the surrender value of the any subsisting bonus and any guaranteed additions already attached to the policy. The guaranteed surrender value shall be at least:
- i. 75% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered any time within third policy year.
  - ii. Subject to (iii), 90% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered in the fourth policy year.
  - iii. 90% of the total premiums paid less any survival benefits already paid, if surrendered during the last two years of the policy.
  - iv. The surrender value beyond the fourth year shall be filed by the insurer. Such surrender value shall follow a smooth progression, and converge to at least 90% of the total premium paid less any survival benefits already paid as the policy approaches maturity.
  - v. Surrender value of any subsisting bonus already attached to the policy shall be approved under the product filing procedure.
- d) Every such policy shall show the guaranteed surrender value of the policy at the close of each year after the second year of its currency or at the close of each period of three years throughout the currency of the policy in the policy document.
- e) A policy which has acquired a surrender value shall not lapse by reason of the non-payment of further premiums but shall be kept in-force to the extent of the paid-up sum assured and the subsisting reversionary bonuses including guaranteed addition, if any. This provision is in accordance with the provisions of Regulation 3(b)(iii) of IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid Up Values) Regulations, 2015 as amended from time to time.
- f) The surrender value shall be the higher of the guaranteed surrender value and the special surrender value.

**21) Special Surrender Value:**

The special surrender value shall represent the asset share in case of the par policies, where the asset share shall be determined in accordance with the guidance or practice standards issued by the Institute of Actuaries of India. For non-par savings policies, the special surrender value shall reflect the guaranteed maturity or survival benefits under the policy.

**CHAPTER: X****MISCELLANEOUS PROVISIONS****22) Renewal Premium in advance:**

(i) Collection of renewal premium in advance shall be allowed within the same financial year for the premium due in that financial year. Provided, the premium due in one financial year may be collected in advance in earlier financial year for a maximum period of three months in advance of the due date of the premium.

(ii) The renewal premium so collected in advance shall only be adjusted on the due date of the premium.

(iii) The commission shall only be paid after adjustment of premium on due date.

**23) Level Premium:**

a) Except for group products, the premium chosen at the outset shall become payable throughout the premium paying term of the policy. Such premium shall be level or uniform and shall not vary over the term of the policy subject to (b) given below

b) After payment of premiums for first five completed policy years, the policyholder may be given an option to decrease the premium upto 50% of the original Annualized Premium, subject to the minimum premium limits under the product of the insurer. Once reduced, the premium cannot be subsequently increased. Benefits may be revised subject to the minimum death benefit as stipulated under Regulation 9 of these Regulations. Sustainability of the policy due to reduction of premiums shall be demonstrated under product filing procedure.

24) "**Grace Period for other than Single Premium Policies**" means the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty or late fee, during which time the policy is considered to be in-force with the risk cover without any interruption, as per the terms & conditions of the policy. The grace period for payment of the premium for all types of non-linked insurance policies shall be: fifteen days, where the policyholder pays the premium on a monthly basis; and 30 days in all other cases.

25) "**Limited Premium Payment Policy**" means the non-linked insurance policy other than single premium policy, where the premium payment period is limited compared to the policy term, and premiums are payable at regular intervals like yearly, half yearly, quarterly, monthly or any other interval as approved by the Authority.

26) "**Non-linked Whole Life Policy**" means non-linked insurance policy, which does not have a definite policy term and the policy terminates on death of the life assured or provides coverage at least up to attainment of age 80 years.

27) "**Regular Premium Policy**" means non-linked insurance policy, where the premium payment is throughout the term of the policy or premium payment term of the policy, and premiums are payable at regular intervals like yearly, half yearly, quarterly, monthly or any other interval as approved by the Authority.

28) "**Single premium Policy**" means non-linked insurance policy, where the premium payment is made in lump sum at the inception of the policy.

29) "**Revival Period**" means the period of five consecutive years from the date of first unpaid premium, during which period the policyholder is entitled to revive the policy which was discontinued due to the non-payment of premium.

30) "**Misleading Names:** Misleading and misrepresenting the benefits through the name of the products or name of the benefit shall not be allowed.

**31) Approval of Innovative products:**

a) Innovative products can be defined as the products which are uncommon in the market.

b) The innovativeness in product design shall result in meeting customer needs, better customer understanding and satisfaction and shall not result in complexity of understanding the product, additional strain on the company's infrastructure, which may result in increased cost to the customer.

c) The insurer shall submit to the Authority, the product design concept of the proposed innovative product and other details along with justification.

32) "**Financial Viability of the Products:** All the products once approved shall be reviewed by the Appointed Actuary at least once a year taking into account the reasonable expectation of all stakeholders, including policyholders to



ensure that they are financially viable. A confirmation in this respect shall be appended to the annual Actuarial Report and Abstract. If any product is found to be financially unviable, the Appointed Actuary shall revise the product as per the extant product filing procedure.

**33) Benefit Disclosure:**

- a) Except for products where all the benefits are assured in absolute amounts at the outset of the contract, all other insurance products shall provide the prospective policyholder a customized benefit illustration at the point of sale, illustrating the guaranteed and non-guaranteed benefits at gross investment returns as stipulated by the Authority. Currently such gross investment returns are 4% p.a. and 8% p.a.
- b) In case of pension products, a yearly statement shall be sent to each policyholder indicating:
  - i) the current accumulated value or available amount.
  - ii) the expected accumulated value on date of vesting on the basis of gross investment returns as stipulated by the Authority from time to time with the caveat, that the projected rate shall not reflect any guarantee. Currently the gross investment returns are 4% p.a. and 8% p.a.
  - iii) likely annuity amount based on the then prevailing annuity rates with the caveat that the projected rates shall not reflect any guarantee.
- c) Such benefit illustration shall be signed by both the prospective policyholder, insurance agent or authorized persons of intermediary involved in sales process, as the case may be and shall form part of the policy document.
- d) The benefit illustration as approved under the product filing procedure shall be part of the sales literature and shall be furnished to the prospective policyholder along with the sales literature before concluding the sale.

**CHAPTER: XI**

**WITH PROFIT FUND MANAGEMENT**

**34) With Profit Committee:**

- (i) The With Profit committee shall be constituted with at least the following members:
 

One Independent Director of the Board, the CEO, the CFO, the Appointed Actuary and an Independent Actuary.
- ii) The Independent Actuary on the With Profit Committee:
  - a) shall be a Fellow member of Institute of Actuaries of India (IAI)
  - b) shall have passed specialization subject in life insurance or equivalent. For the purpose of specialization subject,
    1. Fellow members of the Institute of Actuaries of India who have acquired fellowship before introduction of specialised subject examination, conducted by the Institute of Actuaries of India (erstwhile Actuarial Society of India) will be deemed to have passed the requisite specialisation subject.
    2. Fellow members of the Institute of Actuaries of India who have been exempted from passing specialisation subject in terms of IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017 as amended from time to time, will be deemed to have passed the requisite specialisation subject.
  - c) shall possess a valid Certificate of Practice in the area of Life insurance issued by the Institute of Actuaries of India
  - d) shall have relevant post qualification experience of at least ten years in life insurance business and
  - e) shall not exceed 75 years of age
  - f) The Independent Actuary shall not continue in the With Profit Committee of the same insurer for more than three consecutive years.
  - g) For any financial year, the independent actuary shall not be part of more than three With Profit committees.
- iii) The insurer may add more experts in the With Profit Committee in the areas of Actuarial, Finance, Investment or any other domain. Such additional experts need not satisfy the criteria stipulated for Independent Actuary.

- iv) Asset Share:
  - a) The insurer shall ensure maintenance of the Assets Share.
  - b) The detailed working of the asset share, the expenses allowed for in the asset share, the investment income earned on the fund and other associated elements which are represented in the asset share shall be determined by the Appointed Actuary.
- v) With Profit Committee Report
  - i) The With Profit committee report shall at least cover the following:
    - 1) Appropriateness of the Methodology and basis used in calculation of asset shares, and justification for any change.
    - 2) Bonus earning capacity including its calculation.
    - 3) Sensitivity analysis of bonus rates and basis as appropriate.
    - 4) A brief note on how Policyholders' reasonable expectations (PRE) is met.
    - 5) Any change in special surrender value with justification.
    - 6) Treatment of Fund for Future Appropriation.
    - 7) The expenses debited to the With Profit fund and its appropriateness.
  - ii) The report of the With Profit committee should be shared with the Board of the insurer before finalization of year-end financial statements. The With Profit committee report shall also be shared with the regulator along with Actuarial Report and Abstract. The With Profit committee may be called upon by the regulator to explain the rationale of the With Profit committee report. It is expected that differences if any, between the view-point of the Appointed Actuary and other members of the With Profit committee should be resolved before the Appointed Actuary makes his or her final recommendation on with profit business. However, to the extent that any material difference remains unresolved, the same should be mentioned in the With Profit committee report.
  - iii) The Appointed Actuary retains entire responsibility for his or her work in compliance with the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017 and in conformity with the provisions of the Actuarial Practice Standards and Professional Conduct Standards of the IAI. The Appointed Actuary must therefore retain the final say on whether or not any element of his or her work needs to be changed as a result of the With Profit committee report. The Appointed Actuary is therefore advised to use discretion in this area with care.

## CHAPTER: XII

### MARKET VALUE ADJUSTMENT

#### 35) Market Value adjustment

- a) Market value adjustment shall not be allowed under:
  - i) Non-linked Individual products
  - ii) Par and non-par group savings products where the exits are in accordance with the scheme rules filed with the insurer at the outset, except as stipulated in (b) below.
- b) Market value adjustment may be allowed for par and non-par group savings products, for bulk exits and complete surrender, where the bulk exits are clearly defined in the contract and provided there is an investment guarantee assured throughout the policy.
- c) Market value adjustment shall be defined explicitly & objectively and approved under product filing procedure. There shall not any discretion left to the insurer in arriving at the market value adjustment.
- d) Market value adjustment shall not be applicable for the amounts below the amount which represents the bulk exits and shall be applied only to the amount which is over and above the amount representing bulk exit.
- e) Market value adjustment shall be applied only if:
  - i) The assets are earmarked separately for the product.
  - ii) The revaluation of assets at the time of market value adjustment is carried out on the entire portfolio of assets.

- f) For the purpose of these Regulations, for par and non-par group savings products:
- i) If the amount to be paid on total exits during the policy year exceeds 25% of the policy account values as at the beginning of the year, such transactions shall be treated as bulk exits, where exit shall be as per the scheme rules and
  - ii) Exit shall mean exit of the member from the group.

### CHAPTER: XIII

#### PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION AND OTHER PROVISIONS

- 36) The insurers shall follow the following procedure for implementation of these Regulations:
- a) All new products filed with the Authority after date of notification of these Regulations, shall comply with these Regulations.
  - b) All existing products complying with these Regulations can continue to be open to new business.
  - c) All existing products not complying with these Regulations, can continue to be open to new business for a period stipulated by the Authority.
  - d) Existing products need to be withdrawn or modified to comply with these Regulations during the transition period.
  - e) The Authority may issue guidelines or circulars with regard to procedure for modification of existing products to comply with these Regulations.
  - f) Where any product or feature of a product is cleared by the IRDAI, such clearances for the same kind of product or feature shall not be denied to any other insurer. However, the Authority reserves the right to require insurers to withdraw a product or a feature of the product if such product feature is found not to be consistent with policyholder's interests.
- 37) **Action in Case of Default:**
- a) The Authority may, at any time, by an order in writing, direct any officer of the Authority to inspect the affairs of any insurer and submit a report on the reasonableness or otherwise of the compliance with the any of these Regulations.
  - b) Upon receipt of the report, the Authority shall, after giving an opportunity to the insurer to make a representation in connection with the findings in the report, direct the insurer appropriately.
  - c) Without prejudice to the above, the Authority may also initiate such action against the said insurer, as deemed appropriate, under the provisions of the Act, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the relevant Regulations framed thereunder.
- 38) **Power to Issue Clarifications**
- a) In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson may issue appropriate circulars, clarifications or guidelines, as and when required.
  - b) The Chairperson may also issue circulars or guidelines relating to the Regulation of non-linked products including, but not limited to, their administration, market conduct and disclosure norms, as may be required.
- 39) **Repeal and Savings:**
- a) The IRDA (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2013 shall be repealed from the date these Regulations come into force.
  - b) Unless otherwise provided by these Regulations, nothing in these Regulations shall deem to invalidate the contracts entered prior to these Regulations coming into force.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ ADVT. III/4/Exty./133/19 ]